FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर

रामदयाल बनाम कमला देवी

नं. 52/2022 सन्

किस्म मुकदमा धारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहक... हुक्म ... में ...
19.06.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.07.05 15:13:06 IST Reason: SelfAttested 19/06 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
52 / 2022	2022 / 131	09.05.2022	19.06.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. रामकृपाल पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 46 वर्ष
2. बृजमोहन पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 37 वर्ष
3. रघुवीर पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 35 वर्ष
4. अन्नपूर्णा पुत्री स्व. रमेशचन्द्र आयु 42 वर्ष
5. ममता पुत्री स्व. रमेशचन्द्र आयु 41 वर्ष
6. शांति देवी पत्नी स्व. रमेशचन्द्र आयु 65 वर्ष
7. शिम्भूदयाल पुत्र श्री बदरीनारायण आयु 64 वर्ष
8. सन्तोष देवी पत्नि स्व0 कैलाशचन्द पुत्रवधू बदरीनारायण आयु 60 वर्ष

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)

——वादीगण

बनाम्

1. कमला देवी पत्नी सायरमल आयु 80 वर्ष
2. कृष्णकान्त पुत्र सायरमल आयु 60 वर्ष
3. महेन्द्र पुत्र सायरमल आयु 58 वर्ष
4. महेश पुत्र सायरमल आयु 45 वर्ष
5. विश्वनाथ पुत्र सायरमल आयु 63 वर्ष
6. सीताराम पुत्र सायरमल आयु 65 वर्ष
7. मनीष पुत्र स्व. परमानन्द पौत्र जगदीश आयु 28 वर्ष
8. महेन्द्र पुत्र स्व. परमानन्द पौत्र जगदीश आयु 30 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9. शंकरलाल पुत्र स्व. जगदीश आयु 50 वर्ष

10. सांवरमल पुत्र स्व. जगदीश आयु 45 वर्ष

11. राधेश्याम पुत्र श्योबक्स आयु 70 वर्ष

12. प्रभू पुत्र श्योबक्स आयु 68 वर्ष

13. अजीत पारीक पुत्र श्री भगवती प्रसाद आयु 50 वर्ष

14. छीतरमल पुत्र श्री भगवती प्रसाद आयु 64 वर्ष

15. राकेश पुत्र श्री भगवती प्रसाद आयु 62 वर्ष

16. विमला देवी पुत्री श्री भगवती प्रसाद आयु 52 वर्ष

17. नरेन्द्र मोहन पुत्र श्री रामनिवास आयु 60 वर्ष

18. नन्दलाल पुत्र श्री रामनिवास आयु 58 वर्ष

19. सांवरमल पुत्र श्री रामनिवास आयु 50 वर्ष

20. पवन कुमार पुत्र श्री रामनिवास आयु 48 वर्ष

21. मुकेश कुमार पुत्र श्री रामनिवास आयु 40 वर्ष

22. विनोद पुत्र श्री रामनिवास आयु 35 वर्ष

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

23. प्रेमलता पुत्री रामनिवास आयु 50 वर्ष पत्नी राजेन्द्र जाति पुरोहित निवासी मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी रूकमणी विहार, सैनी मार्केट, प्लाट नम्बर 17, हरनाथपुरा झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान

24. सरोज पुत्री श्री रामनिवास आयु 55 वर्ष पत्नी श्री राजेन्द्र जाति पुरोहित निवासी मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी भोजपुर (कंला) तहसील जोबनेर जिला जयपुर (राज0)

25. प्रकाश पुत्र स्व. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष

26. प्रहलाद पुत्र स्व. सत्यनारायण आयु 70 वर्ष

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

27. मंजू पुत्री स्व. सत्यनारायण पत्नी [illegible] जाति पुरोहित निवासी हाल धींगपुर (कैलाश) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

28. विजय सिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

29. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामनारायण आयु 60 वर्ष

30. संजय कुमार पुत्र श्री रामनारायण आयु 55 वर्ष
जाति महाजन निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

31. अर्जुनलाल पुत्र झूंथालाल उर्फ झूंथाराम

32. निश्च पुत्र झूंथाराम

33. हनुमान पुत्र कन्हीराम
समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

34. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

35. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा श्रीमाधोपुर

36. मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रिछपाल सिंह बाजिया, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8, 10 से 12, 26
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 34 की ओर से

<u>वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा</u>
<u>53, 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—ः निर्णय ः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण [illegible] एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत [illegible] खसरा नम्बर 1885 से 1890, 1899, 1900 से 1901, 1903 कुल किता 10 कुल रकबा 8.64 हैक्टर तन् ग्राम मऊ तहसील

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधि[illegible]

श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित हैं। जिसके 3/16 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम व हिस्सा 32/339 की खातेदारी वादीगण के पिता/दादा/श्वसुर बदरीनारायण के नाम व हिस्सा 1/16 की खातेदारी वादीगण की माता/दादी सास फूली देवी पत्नी बदरीनारायण के नाम दर्ज है व हिस्सा 1/24 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 के नाम व हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम व हिस्सा 3/18 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 12 के नाम एंव हिस्सा 1/24 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 17 से 24 व हिस्सा 49/678 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 29 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1904, 1906, 1907, 1910 से 1912 कुल किता 6 कुल रकबा 7.63 हैक्टर तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित हैं। जिसके 3/16 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम व 1/16 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक फूली देवी पत्नी बदरीनारायण वादीगण की माता/सास/दादी के नाम दर्ज हैं व हिस्सा 1/40 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 के नाम एंव हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम एंव हिस्सा 1/8 की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 12 के नाम एंव हिस्सा 1/40 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 17 से 24 के नाम एंव हिस्सा 1/8 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 29 से 30 के नाम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित दोनो खातों की भूमियॅा आपस में सटाकर सींव जोड़ ही है। इसी कारण उक्त दोनो भूमियो का एक साथ (शामलात) बंटवारा सभी खातेदारान द्वारा काफी समय पूर्व अर्थात करीब 30 वर्ष पूर्व ही खातेदारान के मध्य किया हुआ है। उक्त बंटवारानुसार मौके पर भूमि खसरा नम्बर 1899 रकबा 0.05 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1900 रकबा 1.30 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1903 रकबा 1.69 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1.62 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.66 हैक्टर वादीगण के हक हिस्से एवं बंटवारे में आयी हुयी है तथा खसरा नम्बर 1901 रकबा 1.62 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.73 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1904 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.99 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 1889 रकबा 0.87 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.56 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1906 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 1912 रकबा 2.85 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.83 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.52 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.85 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 13 ता 27 के हक हिस्से एंव बंटवारे में है आया हुआ है व खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.47 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 28 के हक हिस्से व बंटवारे में तथा खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.99 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ है। इसी अनुसार पक्षकारान उपरोक्त बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है एंव अपने–अपने हक हिस्से एंव बंटवारे में आयी हुयी भूमियो पर अलग–अलग सींव नीव कायम कर पूर्णतया काबिज काश्त है। खातेदार अर्जुनलाल पुत्र झूंथाराम व निश्च पुत्र झूंथाराम व हनुमान पुत्र कन्हीराम जो कि काफी समय से अर्थात 20–25 वर्षो से ग्राम मऊ में निवास नही कर रहे है व वादीगण को इनके रहवास व निवास का कोई अता पता भी नही है। इनकी भूमियो प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 27 द्वारा ही काश्त किया जा रहा है एव काबिज भी उक्त प्रतिवादीगण ही है। वादीगण अपने हक हिस्से एंव खातेदारी अनुसार ही तकास्मा करवा रहे है। उक्तानुसार कानूनी बंटवारा नही होकर खातेदारी अलग–अलग दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं तथा राज्य सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुख सुविधाओं से वादीगण को वंचित रहना पड़ता हैं इस कारण भी वादीगण के कब्जे काश्त व बंटवारे की भूमि का कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक एंव न्यायोचित हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को पूर्व में वादपत्र में वर्णित भूमियो का बंटवारा कराने हेतु कहां तो वे टालते रहे व आश्वासन देते रहे परन्तु अब मौजूद प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गयी हैं और वे भूमियों का विधिक बंटवारा कराने से दिनांक 20.03.2022 को इन्कार कर दिये जाने पर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। संयुक्त खातेदारी का विधिक बंटवारा नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं तथा बंटवारा के अभाव में वादीगण अपने हक हिस्से व बंटवारे में आयी भूमी का समुचित विकास नही कर पा रहे हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वादीगण को प्राप्त होने से वंचित रहना पड़ता हैं। वादीगण ने दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधि...

डिक्री फरमाया जावे :– बंटवारा इस आशय का फरमाया जावे कि उक्त वर्णित भूमियॉ तन ग्राम मऊ का बंटवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1899 रकबा 0.05 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1900 रकबा 1.30 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1903 रकबा 1.69 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1911 रकबा 1.62 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण को तथा खसरा नम्बर 1901 रकबा 1.62 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.73 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1904 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.99 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तथा खसरा नम्बर 1889 रकबा 0.87 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.56 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1906 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.85 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 7 से 12 को तथा खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.83 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.52 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.85 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 13 ता 27 को एंव खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.47 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 28 को तथा खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.99 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 के हक हिस्से में दर्ज करते हुये उक्तानुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग– अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री पारित कर एक–दुसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाये जाने का आदेश फरमाये जानें का निवेदन करते हुए उक्त प्रस्तुत वाद वास्ते बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 ता 6, 9, 13 लगायत 25, 27 लगायत 36 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 ता 6, 9, 13 लगायत 25, 27 लगायत 36 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8, 10 से 12 एंव 26 की ओर से श्री रिछपाल सिंह बाजिया एडवोकेट उपस्थित आये एंव ... जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे ही प्रारम्भिक डिक्री जारी किये ... करते हुए पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

14/6/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वकील वादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3, 5 ता 6, 9, 13 लगायत 25, 27 लगायत 36 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8, 10 से 12 एंव 26 की ओर से श्री रिछपाल सिंह बाजिया एडवोकेट के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 33 के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅंगवाये जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 के द्वारा जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे ही प्रारम्भिक डिक्री हेतु सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर सहमति बतौर हस्ताक्षर कर दिये जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 19.10.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2021 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2808/रीडर/2023 दिनांक 29.11.2022 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 835/भू.अ./2023 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.06.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण संख्या 4, 7, 8, 10 लगायत 12 एंव 26 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रिछपाल बाजिया एड0 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त दी गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारान् अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

– अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 33 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 33 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

:– कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 18.05.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रे[illegible] अनुसार [illegible] विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. रामकृपाल, बृजमोहन, रघुवीर पि0 रमेशचन्द्र हिस्सा 1/6 2. अन्नपूर्णा, ममता पुत्रियां रमेशचन्द्र हिस्सा 1/9, 3. शांति देवी पत्नी रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 राहिन आई.सी. आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा श्रीमाधोपुर 4. संतोष देवी पत्नि कैलाशचन्द्र हिस्सा 1/3 राहिन बी.आर.के. जी.बी. शाखा नाथूसर 5. शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित सा0 मउ	1899 1900 1903 1911 1901/1	0.0500 1.3000 1.6900 1.6200 0.0800		
	योग खाता	किता – 5	4.7400		
2	1. कमला देवी पत्नी सायरमल हिस्सा 1/6, 2. कृष्णकांत पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6	1901/2 1888 [illegible] 1910	1.5400 [illegible] [illegible] [illegible].9900		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	3. महेन्द्र पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 4. महेश पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 5. विश्वनाथ पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 6. सीताराम पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 समस्त जाति पुरोहित सा0 मउ				
	योग खाता	किता – 4	4.0600		
3	विजय सिंह पुत्र भैंवर सिंह जाति राजपूत सा0 देह	1885	0.4700		
	योग खाता	किता – 1	0.4700		

4	राजेन्द्र प्रसाद, संजय कुमार पुत्रगण रामनारायण जाति महाजन सा0 देह	1907	0.9900		
	योग खाता	किता – 1	0.9900		

5	1. अजीत, छितर, राकेश पुत्रगण भगवती प्रसाद, विमला पुत्री भगवती प्रसाद हिस्सा 35/278				

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

	2. मुकेश, विकास पुत्र बिरदीचन्द, अनू, बीनू, ममता, सुनीता पुत्रियां बिरदीचन्द हिस्सा 96/2780	1886 1887 1889 1890	0.5200 0.5600 0.8700 0.8300			
	3. अर्जून पुत्र झुंथा हिस्सा 38/278					
	4. मनीष, महेन्द्र पुत्रगण परमानन्द, उर्मिला पत्नी परमानन्द, सुनीता, सुमित्रा पुत्रियां परमानन्द हिस्सा 96/2780					
	5. नन्दलाल, नरेन्द्रमोहन, पवन कुमार, मुकेश कुमार, विनोद कुमार, सांवरमल पुत्रगण रामनिवास, सायर देवी पत्नी रामनिवास, प्रेमलता, सरोज पुत्रियां रामनिवास हिस्सा 35/278,					
	6. प्रभू, राधेश्याम पुत्रगण श्योबक्स हिस्सा 91/278					
	7. शंकर, सांवरमल पुत्रगण जगदीश, रतनी पुत्री जगदीश हिस्सा 278/2780					

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	8. प्रकाश, प्रहलाद पुत्रगण सत्यनारायण, मंजू पुत्री सत्यनारायण, हिस्सा 35/278 समस्त जाति पुरोहित सा0 मउ					
	योग खाता	किता – 4	2.7800			
6	1. अजीत, छितर, राकेश पुत्रगण भगवती प्रसाद, विमला पुत्री भगवती प्रसाद हिस्सा 2008/32300 2. मुकेश, विकास पुत्र बिरदीचन्द, अनू, बीनू, ममता, सुनीता पुत्रियां बिरदीचन्द हिस्सा 636/32300 3. अर्जून पुत्र झुंथा हिस्सा 2008/32300 4. मनीष, महेन्द्र पुत्रगण परमानन्द, उर्मिला पत्नी परमानन्द, सुनीता, सुमित्रा पुत्रियां परमानन्द हिस्सा 635/32300 5. नन्दलाल, नरेन्द्रमोहन, पवन कुमार, मुकेश कुमार, विनोद कुमार, सांवरमल पुत्रगण रामनिवास, सायर देवी पत्नी	1906 1912	0.3800 2.8500			

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

(सीकर)

19/06/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

	रामनिवास, प्रेमलता, सरोज पुत्रियां रामनिवास हिस्सा 2008/32300, 6. प्रभू, राधेश्याम पुत्रगण श्योबक्स हिस्सा 6858/32300 7. शंकर, सांवरमल पुत्रगण जगदीश, रतनी पुत्री जगदीश हिस्सा 2007/32300 8. प्रकाश, प्रहलाद पुत्रगण सत्यनारायण, मंजू पुत्री सत्यनारायण, हिस्सा 2007/32300 9. निश्चय पुत्र झुंथा हिस्सा 1907/32300 10. हनुमान पुत्र कन्हींराम हिस्सा 9538/32300 11. रामकृपाल, बृजमोहन, रघुवीर पिता रमेशचन्द्र, अन्नपूर्णा, ममता पुत्रियां रमेशचन्द्र, शांति देवी पत्नी रमेशचन्द्र हिस्सा 381/32300 12. संतोष देवी पत्नी कैलाशचन्द्र हिस्सा 381/32300 13. शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 381/32300					

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

(सीकर)

12/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

	समस्त जाति पुरोहित सा0 मउ 14. विजय सिंह पुत्र भँवरसिंह हिस्सा 1545/32300 जाति राजपूत सा0 मउ				
	योग खाता	किता – 2	3.2300		

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 835/भू.अ./23 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/06/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दि[illegible] 19.06.202[illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:06 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)